न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।

उत्पाद कनफिसकेशन वाद सं0-93/2020 राज्य बनाम मो0 सजुल एवं अन्य

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-390/म.नि., दिनांक 19-03-2020 के द्वारा उदाकिशुनगंज थाना कांड सं0-172/17, दिनांक 19-10-2017, धारा-30ए. बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 में जप्त हिरो कम्पनी का साईकिल जिसका फ्रेम नं0-0471301 है, को अधिहरण/राजसात करने का प्रस्ताव इस न्यायालय में दिनांक 20-03-2020 को प्राप्त हुआ है, जिस पर दिनांक 21-03-2020 से कार्यवाही प्रारंभ की गई है। प्रतिवेदित किया गया है कि तलाशी लेने पर साईकिल पर लदे प्लास्टिक बोरा से 10 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया है। साईकिल चालक मो0 सजुल पे0 मो0 ताहिर एवं मो0 गिरजान पे0 मो0 छुतहरू दोनों सा0 करौती नहर टोला वार्ड नं0-14, थाना उदाकिशुनगंज, जिला मधेपुरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्रस्ताव के साथ थाना में दर्ज प्राथमिकी, जप्ती सूची की छायाप्रति संलग्न करते हुए उक्त साईकिल को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए प्रस्ताव की एक प्रति विज्ञ उत्पाद अधिवक्ता को उपलब्ध कराया गया। इस न्यायालय के डी0बी0नं0-309, दिनांक 25-03-2020 के द्वारा प्रतिवादी सं0-01 मो0 सजुल पे0 मो0 ताहिर, सा0 करौती नहर टोला वार्ड नं0-14, थाना उदाकिशुनगंज, जिला मधेपुरा एवं प्रतिवादी सं0-02 मो0 गिरजान पे0 मो0 छुतहरू, सा0 करौती नहर टोला वार्ड नं0-14, थाना उदाकिशुनगंज, जिला मधेपुरा को पक्ष रखने हेतु उनके नाम से नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस पोस्टल माध्यम से भेजा गया। सुनवाई की तिथि को उपस्थित नहीं हो सकने के कारण पुनः निबंधित डाक सं0-RF168092039IN, दिनांक 15-06-2020 नोटिस भेजा गया। नोटिस बिना तामिला यह अंकित कर वापस कर दिया गया कि प्राप्तकर्त्ता बाहर रहते हैं। इसी दरमियान कोरोना महामारी के चलते न्यायालय कार्य स्थगित हो जाने के कारण उक्त मामले पर सुनवाई नही हो सकी। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में प्रश्नगत मामले की सुनवाई दिनांक 18-09-2020 से प्रारंभ की गई। प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई हेतु दिनांक 25-09-2020 निर्धारित की गई। उक्त तिथि को राज्य की ओर से विज्ञ उत्पाद अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण स्वयं अथवा उनके अधिकृत अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। फलस्वरूप मामले की गंभीरता को देखते हुए एकपक्षीय सुनवाई की गई। राज्य का पक्ष सुनकर अभिलेख आदेश पर रखा गया। सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से रखे गए पक्ष इस प्रकार हैं :-

राज्य के पक्षकार विज्ञ अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा का कहना है कि बराही साईफन के पास एक युवक प्रतिवादी सं0-01 को साईकिल पर एक बोरी लादकर आते हुए देखा गया, जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा पकड़ लिया गया। साईकिल के पीछे आने वाला व्यक्ति प्रतिवादी सं0-02, पुलिस को देखते ही भाग गया। प्रतिवादी सं0-01 ने ही भागने वाले व्यक्ति का नाम बताया है। बारी का तलाशी लेने पर बोरी में छोटे-छोटे पन्नी में भरा हुआ कुल 10 लीटर देशी महुआ शराब बरामद किया गया। तलाशी दो स्वतंत्र गवाह (1) श्री शिव कुमार राय पे0 श्री रामचन्द्र राय तथा (2) श्री सुशील राय पे0 श्री जयकलेश राय, दोनों सा0 बराही वार्ड नं0-13, थाना उदाकिशुनगंज, जिला मधेपुरा के समक्ष ली गयी, जहाँ पकड़ाये प्रतिवादी सं0-01 भी मौजूद थे। जप्ती सूची पर प्रतिवादी सं0-01 का हस्ताक्षर यह प्रदर्शित करता है कि जप्ती की कार्रवाई इनके समक्ष हुई है और शराब के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय द्वारा निर्गत नोटिस यह अंकित कर वापस प्राप्त हो गया है कि प्राप्तकर्त्ता बहुत दिनों से बाहर रहता है। प्रतिवादी सं0-01 एवं 02 नोटिस जान-बूझ कर प्राप्त नहीं किए जाने का संकेत है और न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना नहीं चाहते हैं। प्रतिवादीगण को समुचित अवसर दिया जा चुका है। प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति यह स्पष्ट करता है कि वे मूक रूप से उक्त आरोप को स्वीकार कर रहे हैं। उपरोक्त तथ्यालोक में जप्त साईकिल से महुआ शराब ढ़ोया जा रहा था, जिसे शराब के साथ साईकिल को भी जप्त किया गया

है। शराब के साथ साईकिल का परिचालन करना, उसे चोरी-छिपे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त साईकिल का उपयोग अवैध महुआ शराब ढोने में किया गया है, जिसे बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 एवं बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा-13(ख) के अन्तर्गत अधिग्रहण योग्य है। जप्त साईकिल का कोई दावेदार नहीं है और न ही न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा है। ऐसी स्थिति में जप्त साईकिल को अधिग्रहित किया जा सकता है।

राज्य का पक्ष सुनने के उपरान्त अभिलेख में रक्षित कागजातों का माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्गत विभिन्न आदेश/निर्देश के आलोक में सभी पहलुओं पर सुक्ष्मतापूर्वक अवलोकन किया गया। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जप्त साईकिल पर लदे हुए बोरी से देशी महुआ शराब बरामद हुआ है। शराब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जप्त साईकिल का उपयोग किया गया है।

अतः पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त राजसात प्रस्ताव प्रतिवेदन एवं विज्ञ उत्पाद अधिवक्ता, मधेपुरा के द्वारा दिए गए तर्क से संतुष्ट होकर बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-56(घ) एवं बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा-13(ख) की परिधि के अन्तर्गत पाए जाने के कारण जप्त हिरो साईकिल, फ्रेम नं0-0471301 को अधिग्रहित करते हुए बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-58(2) के तहत् राजसात (confiscate) करने का आदेश दिया जाता है।

अधीक्षक, मद्य निषेध, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे जप्त साईकिल का मूल्य निर्धारण करवा कर उसे न्यूनतम जमा राशि मानते हुए निलामी करायेंगे। इस निलामी में भाग लेने वालों में से सबसे अधिक बोली लगाने वाले को ही उच्चतम मूल्य निर्धारित माना जायेगा। साईकिल मालिक निलामी की प्रकिया में भाग लेकर उच्चतम बोली अदा कर प्रथमतः साईकिल प्राप्त कर सकते है। अन्यथा उक्त साईकिल उच्चतम बोली लगाने वाले को, उनसे राशि भुगतान पश्चात् उन्हें दे दी जाऐगी। निलामी की सभी प्रकियाऐं पूर्ण होने के उपरान्त साईकिल विमुक्ति की सूचना संबंधितों को अपने स्तर से देंगे। साईकिल निलामी से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवा दी जाऐगी। उक्त आदेश से विक्षुब्ध पक्ष चाहे, तो अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/ अधीक्षक, मद्य निषेध, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज/ प्रतिवादी सं0-01 मो0 सजुल पे0 मो0 ताहिर, सा0 करौती नहर टोला वार्ड नं0-14, थाना उदाकिशुनगंज, जिला मधेपुरा एवं प्रतिवादी सं0-02 मो0 गिरजान पे0 मो0 छुतहरू, सा0 करौती नहर टोला वार्ड नं0-14, थाना उदाकिशुनगंज, जिला मधेपुरा को भेजें तथा एक प्रति मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।

स मा ह र्त्ता,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

समाहर्त्ता, मधेपुरा।

डी0 बी0 नं0-966/न्या0, मधेपुरा, दिनांक 03/12/2020

प्रतिलिपिः मो0 सजुल, पिता मो0 ताहिर, सा0 करौती नहर टोला वार्ड नं0-14, थाना-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा/मो0 गिरजान, पे0 मो0 छुतहरू, सा0-करौती नहर टोला वार्ड नं0-14, थाना-उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः अधीक्षक, मद्य निषेध, मधेपुरा/थानाध्यक्ष, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि, मधेपुरा।